(51)

अनुसूची 14– फारम सं. 512

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला..............मधुबनी.........................संख्या.–05 ..सन् 2018–19

केष का प्रकार ....**श्री कृष्ण कुमार राम, निम्न वर्गीय लिपिक, खजौली अंचल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रतिवेदन।**

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
12.01.19	जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–1380/जि0स्था0 दिनांक–25.08.2018 द्वारा श्री कृष्ण कुमार राम, निम्न वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, खजौली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अधोहस्ताक्षरी को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, खजौली को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुये संचालन प्रतिवेदन/अधिगम समर्पित करने का आदेश दिया गया। आदेश के अनुपालन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। आरोपी कर्मी को प्रपत्र–"क" पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सूचना दी गई। आरोपी कर्मी ने प्रपत्र–"क" में गठित आरोपों के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित किया जिस पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खजौली से मंतव्य प्राप्त किया गया। **संचालन प्रतिवेदन/अधिगम निम्न प्रकार है:–** **आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में गठित आरोप:–** **आरोप संख्या–01:–** श्री कृष्ण कुमार राम, निम्न वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, खजौली को शराब पीने के आरोप में थानाध्यक्ष जयनगर (मधुबनी) के द्वारा गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। **आरोप संख्या–02:–** श्री कृष्ण कुमार राम, निम्न वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, खजौली के द्वारा शराब प्रतिबंधित रहने के बावजूद इसका सेवन/उपयोग करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है। **आरोपी कर्मी का पक्ष:–** 1– दिनांक–09.07.2017 को अपने संबंधी के यहाँ गया था और वापस आने के लिए बस का इन्तजार कर रहा था किं मधुबनी निवाासी अभिषेक कुमार को गाड़ी से जाते हुए मिला जिसे आग्रह किया तो मुझे गाड़ी में बैठा लिया और कार ज्योही शहीद चौक, जयनगर पहूंचा तो पुलिस चेकिंग के लिए रोका और कागजात मांगा जो सही ओ सत्य था फिर भी पुलिस दस हजार रूपया मांगा जिसका विरोध किया तो पुलिस गाड़ी जब्त कर हमलोगों को झूठा केस जयनगर थाना कांड संख्या–188/17 बना कर फंसा दिया जिसमें संलिप्त कर दिनांक–09.07.2017 को कारावास भेज दिया। न्यायालय संदेहास्पद दोषारोपण पाकर दिनांक– 18.07.2017 को जमानत प्रदान किया। 2–संबंधित झूठा वो मनगढ़ंत जयनगर थाना काण्ड संख्या–188/17 दर्ज की गई है का विचारण अभी लंबित है और संदर्भित विभागीय वाद समानान्तर चल रही है जो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को तथा–कथित एक	

(5)

अपराध के लिए दो स्थान पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खजौली का पत्रांक–03 दिनांक–03.01.2019 से प्रस्तुत पक्षः–

श्री कृष्ण कुमार राम, लिपिक पर लगाये गये आरोप का सत्यापन एवं इनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का सत्यापन पुलिस अनुसंधान के पश्चात् ही हो सकता है। तत्पश्चात् नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का जॉच प्रतिवेदन/अधिगमः–

आरोपी कर्मी ने प्रपत्र–"क" पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया कि जयनगर थाना काण्ड संख्या–188/17 झूठा एवं मनगढ़ंत दर्ज की गई है।

जबकि चिकित्सक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जयनगर थाना काण्ड संख्या–188/17 संबंधित कर्मी द्वारा शराब सेवन करने के कारण दर्ज की गई है।

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण बिहार प्रान्त में शराब सेवन प्रतिबंधित है। आरोपी कर्मी सरकारी सेवक हैं, जिन्हें शराब का सेवन की हालत में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चिकित्सा पदाधिकारी, जयनगर द्वारा जॉच में आरोपी कर्मी को अल्कोहल सेवन करना पाया गया। आरोपी कर्मी ने उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया है।

प्रपत्र–"क" में गठित आरोप संख्या–01 एवं आरोप संख्या–2 प्रमाणित पाया गया।

अधिगम/जॉच प्रतिवेदन से संबंधित मूल अभिलेख जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को भेजें।

लेखापित

22/1/19   22/1/19

संचालन पदाधिकारी।   **संचालन पदाधिकारी –सह–अपर समा0मधुबनी।**